

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Secretary

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

11/12/2020

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 दिसम्बर, 2020

विषय: मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेग्यूलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाईडलाईन्स एवं बाईलॉज निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1743/V-2 /58(आ०)14/2016 दिनांक 14.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में पारित आदेश के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के तटीय विकास/निर्माण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 14.12.2016 के बिन्दु (स), जिसमें स्कैप चैनल का उल्लेख है, को विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या-1467/V-2/20/58 (आ०)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
- 5- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।

114
11/12/2020

A.O.
Secretary
11/12/2020

Sh. Rohit
11/12/2020
AZ

- 6- महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 7- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
/ (अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव